

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

ललिता

बनाम

रामचन्द्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

213/2022

2022/553

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18 <sup>5</sup> / <sub>2022</sub>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती ललिता .</p> <p>पिता श्री रामचन्द्र तिवारी</p> <p>निवासी उपरलापाडा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पाठडोली स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 3161</p> <p>कुल कीता 1 कुल रकबा 0.3700 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम पाठडोली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 3161</p> <p>कुल कीता 1 रकबा 0.3700 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रूपये अक्षरे पत्र हो रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>